भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2114
जिसका उत्तर 20 मार्च, 2023 को दिया जाना है

कोयला एमडीओ अनुबंधों को बहाल किया जाना

2114. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोयला खान अधिनियम, 2015 के उपबंधों का उपयोग पुराने माइन डिवेलपर्स और ऑपरेटर्स (एमडीओ) के अनुबंधों को बहाल करने के लिए किया गया था, जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2014 में रद्द कर दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिना नीलामी के एमडीओ अनुबंधों की बहाली को लेकर चिंता जताई गई थी और, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा कदम माननीय उच्चतम न्यायालय के 2014 के आदेश का सीधा उल्लंघन है;

(घ) ऐसी प्रथा को रोकने के लिए 2015 के अधिनियम में संशोधन करने में सरकार की विफलता के क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे मामले में सरकारी खजाने को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग) : कोयला खान विशेष उपबंध अधिनियम, 2015 की धारा 11(1) के अनुसार, कोई आवंटिती ऐसे अनुबंधों को अपना सकता है और जारी रख सकता है जो कोयला खनन प्रचालनों के संबंध में किसी भी पूर्व आवंटिती के पास थे। इसके अलावा, एमडीओ के पक्ष में आवंटित खानों में अधिकारों का कोई अंतरण नहीं होता है। इसलिए, उच्चतम न्यायालय के निर्णय और सीएमएसपी अधिनियम, 2015 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

एमडीओ की नियुक्ति में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। यह राज्य/केंद्र सरकार के पीएसयू की जिम्मेदारी होती है कि वे एमडीओ की नियुक्ति पारदर्शी रूप से और कोयला खान विकासक सह एवं उत्पादन करार के प्रावधानों के अनुसार करें।

(घ): सीएमएसपी अधिनियम की धारा 11(1) में कोयला ब्लॉक आवंटन से पूर्व एमडीओ की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भविष्य में सरकारी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों के आवंटन के बाद एमडीओ की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए, नीति आयोग ने सिफारिश की थी कि सीएमएसपी अधिनियम में संशोधन के बजाय, कोयला मंत्रालय "कोयला ब्लॉक के आवंटन से पहले एमडीओ की नियुक्ति" को छोड़कर सरकार और सरकारी कंपनियों के आवंटितियों के बीच हस्ताक्षरित कोयला खान विकास और उत्पादन करार में एक खंड सम्मिलित कर सकता है। नीति आयोग से प्राप्त उक्त सिफारिश को मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है।

(ङ.) : चूंकि एमडीओ के पक्ष में आवंटित खानों में अधिकारों के अंतरण का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए राजकोष को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

****